

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-54/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

स्व० (डा०), हर्षवर्धन चौधरी, भूतपूर्व ट्यूटर, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के दिनांक-07.11.2023 से मृत्यु की तिथि 28.02.2024 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1842(25) दिनांक-24.10.2024 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-232 एवं 234 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक-07.11.2023 से 16.12.2023 तक - कुल-40 (चालीस) दिनों के रूपान्तरित अवकाश के रूप में (80 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
2. दिनांक-17.12.2023 से 28.02.2024 तक - कुल-74 (चौहत्तर) दिनों के उपार्जित अवकाश के रूप में।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-54/2024-

22/12/23 पटना, दिनांक 11/02/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा/ कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा, आरा/श्रीमती अंजली कुमारी पति-स्व० (डा०), हर्षवर्धन चौधरी, भूतपूर्व ट्यूटर, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा पत्राचार के पता-श्याम कुंज, जी०एम०मार्ग, जनता होटल क सामने पी०एम०सी०एच० के पास आर्या कुमार रोड, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

६